संख्या-7/2024-वे0आ0-2-404/दस-2024-ई0प0क0सं0-1761525

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2024**

विषय : उद्यान अधीक्षक एवं आर्बोरिकल्चरिष्ट के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के चतुर्थ प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उद्यान अधीक्षक वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रू0 44900-142400) एवं आर्बोरिकल्चरिष्ट वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रू0 44900-142400) के पदों को मृत संवर्ग घोषित किये जाने सम्बन्धी वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार न की जाय तथा प्रतिनियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जाये।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।